



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 12.03.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी किये गये 02 सिलेन्डर सहित किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.2026 को वादी जगजीत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी मौ0 महादेवपुरम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा मौ0 खस्सो के गोदाम मे रखा एच0पी0 का सिलेन्डर चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 185/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 13.06.2025 को वादी नीरज कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता निवासी गाधी मार्केट शुगर मील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की दुकान से 02 गैस सिलेन्डर, 200/- रुपये नगदी व 20 किलो नमकीन चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 507/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त दिलशाद पुत्र साबिर निवासी मौ0 कस्साबान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



आज दिनांक 12.03.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त को उपरोक्त अभियोगों में चोरी किये गये 02 सिलेन्डर सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलशाद पुत्र साबिर निवासी मौ0 कस्साबान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1. 01 सिलेन्डर एच0पी0 कम्पनी सम्बन्धित मु0अ0स0 185/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित।
2. 01 सिलेन्डर इन्डेन गैस कम्पनी सम्बन्धित मु0अ0स0 507/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1. उ0नि0 संजीव कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 2070 मोहित कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 1198 संदीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 चालक 1599 गौरव थाना को0शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट- थाना किरतपुर

दिनांक 12.03.2026

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 57/2026 धारा 326(F)/152 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को घटना से संबंधित मोबाइल फोन सहित किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.03.2026 को वादी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी थी कि दिनांक 04.03.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी गाडी(UP20T1781) पर पेट्रोल छिडककर आग दी है ।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 57/2026 धारा 326(F) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त अबुजर शमीम राईन पुत्र शमीम अहमद निवासी निवासी मोहल्ला अफगनानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



आज दिनांक 12.03.2026 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अबुजर शमीम राईन उपरोक्त को घटना से संबंधित मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 152 बीएनएस की वृद्धि की गयी । आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अबुजर शमीम राईन पुत्र शमीम अहमद निवासी मोहल्ला अफगनानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अबुजर शमीम राईन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह गुरुग्राम(हरियाणा) में रहकर सैलून की दुकान पर कार्य करता है तथा बीमारी व आर्थिक तंगी के कारण उसने अपने रिश्तेदार जैद पुत्र रहीश निवासी मोहल्ला लुकमानपुरा, कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर (वर्तमान में पनवेल, मुम्बई में नाई का कार्य करता है) से आर्थिक सहायता मांगी थी । जैद उपरोक्त ने उसका टेलीग्राम के माध्यम से अबूबकर नामक व्यक्ति से संपर्क कराया, जिसने उसे विशेष समुदाय के वाहनों में आग लगाने के लिए उकसाया तथा इसके बदले रुपये देने का लालच दिया ।

दिनांक 04.03.2026 को रात्रि लगभग 10:15 बजे उसने (अभियुक्त अबुजर शमीम राईन उपरोक्त) ने कस्बा किरतपुर स्थित मौ0 झण्डा में मंदिर के सामने खड़ी एक पिकअप गाडी (जिस पर धार्मिक शब्द लिखे थे), पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाकर टेलीग्राम के माध्यम से जैद उपरोक्त को भेज दिया । घटना के अगले दिन वह पुनः गुरुग्राम चला गया । अभियुक्त ने यह भी बताया कि उक्त घटना कारित करने के बाद वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित हुआ था तथा आज दिनांक 12.03.2026 को वह गुरुग्राम से वापस किरतपुर आया था तथा किरतपुर झील की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया ।

बरामदगी का विवरण-

घटना से संबंधित मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1. थानाध्यक्ष श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2. उ०नि० श्री दीपक नागर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3. हे०का० 450 अरुण कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
4. का० 1780 सचिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
5. का० 2083 राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 12.03.2026

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 113/2026 धारा 352 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट से संबंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (इंस्टाग्राम) पर आई0डी0 itz_adnanshaikj_07 के संचालक द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणी की गयी थी ।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 113/2026 धारा 352 बीएनएस व धारा 66 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त मौ0 अदनान पुत्र मौ0 अनवर निवासी मौ0 मिर्दागान बी-10 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



दिनांक 11.03.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त मौ0 अदनान उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौ0 अदनान पुत्र मौ0 अनवर निवासी मौ0 मिर्दागान बी-10 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1. निरी0 अपराध श्री योगेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. हे0का0 742 बृजेश कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर ।
4. का0 908 सचिन कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेसनोट- थाना नगीना

दिनांक 12.03.2026

थाना नगीना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को चोरी की हुई मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.26 को वादी श्री गौरव कुमार पुत्र महेश सिंह निवासी ग्राम दित्तनपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कान्हा पैलेस टोला प्लाजा पुरैन के पास से उसकी मोटर साइकिल (UP20AS7674) चोरी कर ली गयी है।

इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 64/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त मदनपाल पुत्र गुरुदयाल सिंह निवासी ग्राम बसेरा मछुआ दाड़ी अलहदादपुर वेहारी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर का नाम प्रकाश में आया।



आज दिनांक 12.03.2026 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मदनपाल पुत्र गुरुदयाल सिंह निवासी ग्राम बसेरा मछुआ दाड़ी अलहदादपुर वेहारी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर को चोरी की गयी मोटर साइकिल(UP20AS7674) सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार वांछित का नाम व पता:-

मदनपाल पुत्र गुरुदयाल सिंह निवासी ग्राम बसेरा मछुआ दाड़ी अलहदादपुर वेहारी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. कां0 1591 प्रदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. कां0 1210 शशांक थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. कां0 1167 मौ0 आरिफ थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. कां0 247 सुरजीत थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक- 11.03.2026

थाना धामपुर पुलिस द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए गिरे हुए रुपये बरामद कर उनके स्वामी को सकुशल वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.2026 को समय लगभग 01:30 बजे मोहम्मद अनस पुत्र मोहम्मद इरशाद निवासी मोहल्ला तैयब सारी कस्बा शेरकोट, जनपद बिजनौर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में जैथरा फाटक के पास उनकी बाइक से उनका थैला गिर गया, जिसमें लगभग ₹1,30,000/- रुपये रखे हुए थे।

कुछ समय पश्चात मोहम्मद अनस द्वारा थाना धामपुर की चौकी पर पहुंचकर उक्त घटना की सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति थैला उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को चिन्हित कर



रोककर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम शौकीन बताया तथा बताया कि उसे रास्ते में उक्त थैला मिला था। उसके पास से मोहम्मद अनस के पूरे ₹1,30,000/- रुपये बरामद हुए।

बरामद धनराशि को कां0 1687 शराफत अली, थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा विधिवत मोहम्मद अनस को सुपुर्द किया गया। रुपये प्राप्त होने पर मोहम्मद अनस द्वारा धामपुर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की त्वरित कार्यवाही की सराहना की गई।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 11.03.2026

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 428/25 धारा 316(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)
बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2025 को वादी शादान पुत्र नफीस निवासी मोहल्ला अहमद खेल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. शमशाद 2. नौशाद 3. दिलशाद पुत्रगण अंसार निवासीगण मौहल्ला शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी को विदेश भेजने के नाम पर उससे 1,27,000 रुपये बैंक खाते में तथा 50,000 रुपये नकद ले लिये गये । तत्पश्चात अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से छलकपट व धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के नाम से फर्जी वीजा तैयार कराया गया तथा धनराशि ठग ली गयी । वादी द्वारा अपने पैसे वापस मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा पैसे देने से मना कर दिया गया ।



इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 428/2025 धारा 316(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 11.03.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला शाहचन्दन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नौशाद पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला शाहचन्दन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 2.हे0का0 125 रतन सिंह थाना चांदपुर बिजनौर ।